राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4451/2019

प्रभु दयाल मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर जरिये शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
3. निदेशक, निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान सरकार, वित्त भवन, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.11.2019
आदेश की दिनांक : 30.10.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि जिन अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति दिनांक 06.09.2011 के क्रम में लेखाकार के पद पर चयन किया गया है। अपीलार्थी को भी उन्हीं अभ्यर्थियों के समान उसकी सेवा मानते हुए समस्त पारिणामिक लाभ एवं काल्पनिक लाभ मय वरिष्ठता वर्ष 2012–13 के तहत मानते हुए सभी लाभ प्रदान किए जावें। चूंकि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अन्य अभ्यर्थियों से देरी से नियुक्ति दी गई थी। इसलिए समस्त पारिणामिक लाभ अन्य अभ्यर्थियों के समान प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि वर्तमान में अपीलार्थी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–2 के पद पर कार्यरत है। लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा–2011 में उत्तीर्ण होने के बाद इसे

सहायक लेखाधिकारी–2 में बदल दिया गया। अपीलार्थी को नियम, 1963 के तहत प्रदान किए गए अनुग्रह अंक नहीं दिए गए। लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा–2011 का परिणाम दिनांक 02.01.2013 को घोषित किया गया, जो कि दोषपूर्ण था क्योंकि आवश्यक पात्रता सुनिश्चित किए बिना, ऐसे उम्मीदवार जो अयोग्य थे, उन्हे भी सफल घोषित कर दिया गया तथा संशोधित परिणाम दिनांक 15.09.2015 घोषित किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 11.01.2016 के द्वारा नियुक्ति दी गई तथा अपीलार्थी ने दिनांक 14.01.2016 को कार्यग्रहण किया। विभाग ने वर्ष 2016–2017 की वरिष्ठता सूची तैयार की तद्नुसार अपीलार्थी को योग्यता स्थिति 392–बी के अनुसार अपीलार्थी को वरिष्ठता क्रमांक 836 पर रखा गया, इस प्रकार अपीलार्थी को वर्ष 2012–13 के बैच के साथ वरिष्ठता प्रदान की गई। उसके बाद वर्ष 2017–18 की वरिष्ठता सूची तैयार की गई, जिसमें अपीलार्थी को भी अपीलार्थी के बैच के साथ वरिष्ठता दी गई और अपीलार्थी को उसकी योग्यता के अनुसार क्रम संख्या 589 पर रखा गया। वर्ष 2017–18 की वरिष्ठता सूची के विरूद्ध वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध कनिष्ठ लेखाकार के पद से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–2 के रूप में पदोन्नत होने वाले अभ्यर्थियों के आपत्तियां प्रस्तुत करने पर उनका निस्तारण करने के कार्मिक विभाग ने निदेशक, कोष एंव लेखा के अनुसार दिशा–निर्देश जारी किए गए, जिसके आधार पर वर्ष 2017–18 की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी को उसके बैच से अलग कर दिया गया। अपीलार्थी को 1000 ऐसे उम्मीदवारों से नीचे रखा, जिन्हें कनिष्ठ लेखाकार से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–2 पर पदोन्नत कर दिया गया था। अपीलार्थी को क्रम संख्या 1537 पर रखा गया था। अपीलार्थी का वर्ष 2018–19 की वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 1431 पर है। अपीलार्थी ने दिनांक 15.03.2018 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसका प्रत्यर्थी विभाग ने आज दिनांक तक कोई निस्तारण नहीं किये बिना ही वरिष्ठता सूची जारी कर दी और उसके बाद विभाग ने डी.पी.सी. आयोजित कर दी तथा वर्ष 2011 के बैच के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति आदेश जारी कर दिया गया। अपीलार्थी को गलत तरीके से वर्ष 2012–13 के बजाय वर्ष 2013–14 के रूप मे चयन वर्ष सौंपा गया है, जिसे अपीलार्थी के समान स्थिति वाले को सौंपा गया है, जो उसी चयन प्रक्रिया के अनुसार चयनित हुए थे, इसलिए उन सभी अभ्यर्थियों को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–2 के पद से लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई, लेकिन अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं किया गया। वर्ष 2011 के बैच के एक अन्य उम्मीदवार श्री नवीन सिंह,

जो वर्ष 2017 में शामिल हुए थे, को वर्ष 2012–13 की वरिष्ठता सौंपी गई थी, जबकि अपीलार्थी को वर्ष 2013–14 की वरिष्ठता दी गई थी, जो विभाग द्वारा पक्षपात तरीके से वरिष्ठता निर्धारित की गई। जबकि अपीलार्थी चयन प्रक्रिया में मेरिट के आधार पर वरिष्ठता पाने का अधिकारी है। इसी समान अन्य अभ्यर्थियों ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.11.2017 को निर्णय पारित किया, जिसको विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त निर्णय को डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 839/2018 प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय ने उक्त अपील को आदेश दिनांक 10.05.2018 के द्वारा खारिज कर दिया। परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को काल्पनिक लाभ नहीं दिया गया, जो विधि विरूद्ध है। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 758/2019 प्रस्तुत की, जिसके क्रम में माननीय न्यायालय ने अपीलार्थी को अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिनांक 20.09.2019 के द्वारा निर्देशित किया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि जिन अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति दिनांक 06.09.2011 के क्रम में लेखाकार के पद पर चयन किया गया है। अपीलार्थी को भी उन्हीं अभ्यर्थियों के समान उसकी सेवा मानते हुए समस्त पारिणामिक लाभ एवं काल्पनिक लाभ मय वरिष्ठता वर्ष 2012–13 के तहत मानते हुए सभी लाभ प्रदान किए जावें। चूंकि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अन्य अभ्यर्थियों से देरी से नियुक्ति दी गई थी। इसलिए समस्त पारिणामिक लाभ अन्य अभ्यर्थियों के समान प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि दिनांक 01.04.2017 की स्थिति में अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 12.10.2017 को जारी की गई। दिनांक 12.10.2017 द्वारा जारी अंतिम वरिष्ठता सूची के आधार पर ही दिनांक 01.04.2018 की स्थिति में दिनांक 03.04.2018 को अंतरिम वरिष्ठता सूची जारी की गई। वर्ष 2017–18 की अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 12.10.2017 को जारी की गई थी। दिनांक 15.03.2018 को अपीलार्थी द्वारा किसी वरिष्ठता सूची पर आपत्ति अंकित नहीं है क्योंकि वर्ष 2017–18 की अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 12.10.2017 को जारी की जा चुकी थी। दिनांक 01.04.2017 की स्थिति में जारी अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 12.10.2017 के आधार पर दिनांक 01.04.2018 की स्थिति के अंतरिम वरिष्ठता सूची दिनांक

03.04.2018 को एवं अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 18.05.2018 को जारी की गई थी। प्राप्त परिवेदनाओं का निर्णय पूर्व में कार्मिक विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार ही किया गया है। अंतिम वरिष्ठता सूची के अनुसार ही विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित की गई एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रचलित नियमों के आधार पर अपनी अनुशंषा जारी की गई। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के अन्तर्गत मेरिट कम कार्यानुभव पूर्ण होने पर ही पदोन्नति दी गई है। कार्मिक की राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि अलग होने के कारण कार्यानुभव पूर्ण करने पर ही पदोन्नति की गई है। श्री नवीन सिंह की वरिष्ठता कार्मिक विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शन जो कि अपीलार्थी द्वारा (अनुलग्नक–8) के अनुसार अंकित किया गया है। परंतु श्री नवीन सिंह की पदोन्नति कार्यानुभव पूर्ण नहीं होने के आधार पर नहीं हुई है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा–2011 का परिणाम दिनांक 02.01.2013 को घोषित किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 11.01.2016 के द्वारा नियुक्ति दी गई तथा अपीलार्थी ने दिनांक 14.01.2016 को कार्यग्रहण किया। विभाग ने वर्ष 2016–2017 की वरिष्ठता सूची तैयार कर अपीलार्थी को वरिष्ठता क्रमांक 836 पर रखा गया। अपीलार्थी को वर्ष 2012–13 के बैच के साथ वरिष्ठता प्रदान की गई। वर्ष 2017–18 की वरिष्ठता सूची तैयार की गई, जिसमें अपीलार्थी को उसकी योग्यता के अनुसार क्रम संख्या 589 पर रखा गया। वर्ष 2017–18 की वरिष्ठता सूची के विरूद्ध वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध कनिष्ठ लेखाकार के पद से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–2 के रूप में पदोन्नति हेतु डीपीसी आयोजित की गई और वर्ष 2011 के बैच के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति आदेश जारी कर दिया गया। अपीलार्थी को गलत तरीके से वर्ष 2012–13 के बजाय वर्ष 2013–14 के रूप मे चयन वर्ष सौंपा गया है। उन सभी अभ्यर्थियों को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–2 के पद से लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई, लेकिन अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 434/2019 माधवी भटनागर बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.05.2023 में सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए विभाग को निर्देशित किया कि जो कार्मिक मेरिट में प्रार्थी से

नीचे हैं और जिस तिथी से उन्हें वेतन, भत्ते एवं वरिष्ठता आदि का लाभ दिया गया है। उसी तिथी से अपीलार्थी को भी काल्पनिक लाभ प्रदान किया जावे, जिसको विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त निर्णय को डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 839/2018 प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय ने उक्त अपील को आदेश दिनांक 10.05.2018 के द्वारा खारिज कर दिया। जहां तक विज्ञप्ति दिनांक 06.09.2011 के क्रम में चयन हुए कार्मिकों को वरिष्ठता एवं वेतन, भत्ते आदि का लाभ प्रदान किए जाने एवं अपीलार्थी उक्त कार्मिकों के साथ चयन उपरांत उक्त लाभ विभाग द्वारा प्रदान नहीं किए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी का परीक्षा परिणाम देरी से आने के कारण उसका अनुभव पूर्ण नहीं होने के कारण पदोन्नति से वंचित रखा गया है। हमारे मत में अपीलार्थी का चयन एवं उक्त सभी कार्मिकों एवं अपीलार्थी का चयन एक ही विज्ञप्ति द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से चयन हुआ है। परीक्षा परिणाम भी एक साथ जारी हुआ है, जिसमें मेरिट क्रमांक आधार पर चयन सूची जारी की गई है, परंतु अपीलार्थी को नियुक्ति देरी से दिए जाने के कारण उसे उक्त सभी लाभों से जो उसके साथ चयन हुए कार्मिकों को लाभ दिए गए हैं। उन सभी लाभों से अपीलार्थी को वंचित नहीं रखा जा सकता क्योंकि विभाग द्वारा जिन कार्मिकों को पदोन्नति, वरिष्ठता एवं वेतन भत्ते आदि का लाभ दिया गया है, उनमें से कुछ कार्मिक अपीलार्थी से मेरिट क्रमांक में कनिष्ठ हैं। इस प्रकार हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी उक्त कार्मिकों की भांति उसी तिथी से वरिष्ठता, पदोन्नति एवं वेतन भत्ते आदि का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 434/2019 माधवी भटनागर बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.05.2023 में विभाग द्वारा किए गए ऐसे कृत्य को अनुचित माना है। अतः उक्त निर्णय के आधार पर अपीलार्थी भी उक्त सभी लाभ अपने से कनिष्ठ कार्मिकों के समान उसी तिथी से प्राप्त करने का अधिकारी है, जिस तिथी से उससे कनिष्ठ कार्मिकों को लाभ प्रदान किए गए हैं। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 434/2019 माधवी भटनागर बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.05.2023 को ध्यान में रखते हुए तथा आरपीएससी द्वारा लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार सीधी भर्ती संयुक्त प्रतियोगी

परीक्षा, 2011 का जो वरिष्ठता निर्धारित परिणाम जारी किया गया है, उसी आधार पर नियमानुसार अपीलार्थी की वरिष्ठता को उचित निर्धारित करते हुए जिस तिथी से उससे कनिष्ठ कार्मिकों को वेतन भत्ते, पदोन्नति आदि का लाभ प्रदान किया गया है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी काल्पनिक (वरिष्ठता, वेतन, भत्ते निर्धारण) लाभ आदि प्रदान किया जावे।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य